नई दिल्ली में मृत्यु हो गयी थी, के सम्मान में अभी तक कोई स्मारक डाक-टिकट जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में उनके सम्मान मे कोई डाक-टिकट जारी करने का विचार रखती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) स्मारक विशेष डाक टिकटें जारी करने के बारे मे तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिये विभाग में एक फिलेटेलिक सलाहकार समिति कार्यरत है। यह प्रस्ताव फिलेटेलिक सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया था लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। तथापि, इसे फिलेटेलिक सलाहकार समिति की अगली बैठक मे पुन विचार के लिये रखने का निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में और अधिक उद्योग लगाए जाने का प्रस्ताव

1436. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश मे और अधिक उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे एककों में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) (क) और (ख) उद्योग तथा खनिज क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों के नये एककों के लिये सातवीं योजना मे व्यवस्था की गयी है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :--

(करोड रुपयों)

क्र० सं०	उद्यम	एकक	व्यवस्था
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	हरिद्वार और झांसी में नई योजनाएं	2.00
2.	भारत पम्प एण्ड कम्प्रैशर्स लि०	नैनी में नई योजनाएं	8.82
3.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	ननी में नई योजनाएं	1.40
4.	एच० एम०टी० लि०	रानीबाग में नई योजनाएं	2.00
5.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	ऋषिकेश में नई योजनाएं	2.00

(ग) लगभग 1.29 लाख।

राजस्थान की ताप और पन-बिजली परियोजनाएं

1437 **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य मे ताप और पन-बिजली की कितनी परियोजनायें चल रही हैं;

(ख) ऐसी परियोजनाओं की संख्या तथा ब्यौरा क्या है जो इस समय निर्माणाधीन है तथा इन परियोजनाओं द्वारा उत्पादन कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ;

(ग) ऐसी तापीय तथा पन-बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है परन्तु वे केन्द्रीय सरकार के पास अभी तक लम्बित हैं तथा वे केन्द्रीय सरकार के पास कब से लम्बित हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में हुये विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I

राजस्थान में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रमसं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की प्रत्याशित तारीख
1.	कोटा चरण-दो यूनिट 3 और 4	420	6/89
2.	रामगढ़ गैस टर्बाइन	3	**
3.	अन्टा कम्बाइंड साइकिल	430	8/80
4.	माहीबजाज सागर	140	1989-90
5.	मंगरोल आर. एम. सी.	6	1989-90
6.	चारणवाला	1.2	1989-90
7.	सूरतगढ़	4	1989-90
8.	पुगल	2.15	1989-90
9.	इटावा	0.5	1990-91
10.	बीरसलपुर	0.91	1990-91
11.	माही आर.ए.म.सी.-1	0.8	1990-91

**चूंकि मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए आर्डर दिए जाने हैं, अतः इन्हें चालू करने के कार्यक्रम की प्रत्याशा नहीं की जा सकती।

विवरण-II

राजस्थान में ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनायें

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में दिनांक 6-1-1988 को हुई बैठक में कोटा यूनिट-5 (210 मेगावाट) को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया था। इस संबंध में औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने के बारे में विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का पालन किए जाने के बाद विचार किया जाएगा।

(ख) उन ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति, जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है।

परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1 सूरतगढ़ ता०वि० केन्द्र	2×120	मई, 1984	1 कोयला लिंकेज के लिए स्वीकृति अपेक्षित है।

1	2	3	4
			2. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
2. जाखम (संशोधित)	1×5.5	नवम्बर, 1986	1. के. वि. प्राधिकरण की टिप्पणियों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए है। 2. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
3. कोटा पम्पड स्टोरेज	2×100	सितम्बर, 1986	1. के. वि. प्राधिकरण की टिप्पणियों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। 2. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
4. जवई	4×0.6	मई, 1986	के. वि. प्राधिकरण की टिप्पणियों के संबंध में प्राप्त उत्तरों की जांच की जा रही है।
5. माऊंट आबू बहुद्देश्यीय परियोजना	2×5	अगस्त, 1983	1. के. वि. प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे पेनस्टाक की लम्बाई में कमी करने की दृष्टि से विद्युतघर के लिए वैकल्पिक स्थल का पता लगाने के संबंध में विचार करें। 2. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 29 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
6. बरसिंहसार लिग्नाइट पर आधारित ता० वि० केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	2×210	मार्च, 1988	पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, जल की उपलब्धता संबंधी सुनिश्चितता नागर विमानन संबंधी स्वीकृति आदि की प्रतीक्षा है।